पत्रांक : 05/सू० प्रा०–19/2009.....188

बिहार सरकार

सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक 11-02-2010

समाहरणालय, दरभंगा
2377
6/3/14
N.I.C

विषयः– बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना का राज्य सरकार द्वारा परिसमापन संबंधी/लिये गये निर्णय को वापस लिये जाने के संबंध में।

[Reg. — To Withdrawal decision of Bihar State Electronic Development Corporation Ltd., Patna liquidation by the Government of Bihar.]

राज्य सरकार द्वारा वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग के संकल्प संख्या–562 दिनांक 28.07.2003 द्वारा 18 लोक उपक्रमों के परिसमापन का निर्णय लिया गया था, जिसमें बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (BSEDC) भी शामिल है।

2. राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर आदि की आपूर्त्ति के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली 2005 के नियम–129 के अन्तर्गत इसे **राज्य क्रय संगठन** नामित किया गया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग, बिहार, पटना ने संकल्प संख्या–सह–पठित ज्ञापांक–1904 दिनांक 27.03.2006 के द्वारा आदेश भी निर्गत किया है।

3. संचार और प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय ई.–शासन योजनान्तर्गत विभिन्न योजनाओं यथा–BSWAN, Common Service Centre, State Data Centre, State Service Delivery Gateway (SSDG), Capacity Building एवं Knolwedge City के लिए स्टेट नोडल एजेन्सी घोषित किया है तथा उन योजनाओं का क्रियान्वयन निगम के द्वारा बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। जिसका प्रतिफल यह है कि राज्य ई.–गवर्नेंस के क्षेत्र में काफी तीव्र गति से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। ठीक उसी प्रकार ई.–गवर्नेंस से संबंधित वैसी राज्य योजनाएँ जिसका सीधा संबंध नागरिक सेवाओं से है, के लिए भी स्टेट नोडल एजेन्सी घोषित है एवं उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी निगम के द्वारा बेहतर ढंग से किया जा रहा है, जिसका अनुकूल प्रभाव विभागों के कार्य क्षमताओं पर सीधा पड़ा है। वर्त्तमान में राज्य सरकार के सभी कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किये जा रहे हैं।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना ने संकल्प संख्या–562 दिनांक 28.07.2003 द्वारा जिन 18 निगमों को परिसमापन के दायरे में लाया गया था, उसका आधार निगम को हानि में होना था, परन्तु जब से केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा ई.–गवर्नेंस के कार्यों के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना को नोडल एजेन्सी घोषित किया गया है, तब से यह निगम लाभ के दायरे में आ गया है। वर्त्तमान में इसका आकलन इस रूप में भी लगाया जा सकता है कि लगातार तीन वर्षों यथा–वित्तीय वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 में क्रमशः एफ०डी०आर० सूद एवं अन्य सेवाओं से ₹ 11,58,00,000.00, 15,21,00,000.00 एवं 13,42,00,000.00 आय की प्राप्ति हुई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए अंकित राशि में FDR से सूद ₹ 9,70,00,000.00 (नौ करोड़ सत्तर लाख) एवं अन्य सेवा से प्राप्त आय से ₹ 1,88,00,000.00 (एक करोड़ अठासी लाख) मात्र, वित्तीय वर्ष 2008–09 में FDR से सूद ₹ 12,79,00,000.00 (बारह करोड़ उनासी लाख) मात्र एवं अन्य सेवा से ₹ 2,42,00,000.00 (दो करोड़ बेयालीस लाख) मात्र तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 में FDR से सूद ₹ 11,27,00,000.00 (ग्यारह करोड़ सताईस लाख) मात्र तथा अन्य सेवा से आय ₹ 2,17,00,000.00 (दो करोड़ सत्रह लाख) मात्र है, जो वार्षिक टर्न ओभर का हिस्सा है। विभिन्न विभागों से आपूर्ति या अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त राशि की आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर Short Term Parking का सूद अर्जित किया गया है, जो Float के उचित वित्तीय प्रबंधन से सम्भव हुआ है, जिसे आम सभा में भी पारित किया गया है तथा बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लि०, पटना का सांविधिक अंकेक्षण भी पूरा कर लिया गया है।

5. वर्णित स्थिति में मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की उपयोगिता/महत्ता एवं राज्य के विकास में अहम् भूमिका का निर्वहन को देखते हुए संकल्प संख्या–562 दिनांक 28.07.2003 द्वारा पूर्व में निगम के परिसमापन संबंधी निर्णय को वापस लिया जाता है।

क्रमशः 2/–

6. परिसमापन संबंधी निर्णय के वापस लेने के फलस्वरूप बेल्ट्रॉन में कार्यरत सभी कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा तत्काल प्रभाव (वर्त्तमान संकल्प निर्गमन की तिथि) से 58 से 60 वर्ष की जाती है।

आदेश :– ***आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।***

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

11.2.14

(नरेन्द्र कुमार सिन्हा)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 05/सू० प्रा०–19/2009 188 पटना, दिनांक 11-02-2014
प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सी० डी० सहित) उप सचिव, ई.–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी पाँच सौ प्रतियाँ को सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

11.2.14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 05/सू० प्रा०–19/2009 188 पटना, दिनांक 11-02-2014
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.2.14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 05/सू० प्रा०–19/2009 188 पटना, दिनांक 11-02-2014
प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.2.14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 05/सू० प्रा०–19/2009 188 पटना, दिनांक 11-02-2014
प्रतिलिपि : प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लि०, बेल्ट्रॉन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

11.2.14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 05/सू० प्रा०–19/2009 188 पटना, दिनांक 11-02-2014
प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

11.2.14

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक : 05/सू० प्रा०–19/2009 188 पटना, दिनांक 11-02-2014
प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 31.01.2014 को मंत्रिपरिषद् के मद संख्या–10. के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

11.2.14

सरकार के प्रधान सचिव

राजन
10.02.2014